"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017—— फाल्गुन 30 , शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ—10 / 17 / 2017 / वाक / पांच (21). —— छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ—10 / 21 / 2010 / वाक / पांच (25), दिनांक 26—3—2010 में कालावधि से संबंधित अंक "31—03—2017" के स्थान पर अंक "30—06—2017" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

क्रमांक एफ—10 / 17 / 2017 / वाक / पांच (21). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10 / 17 / 2017 / वाक / पांच (21), दिनांक 10—3—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th March 2017

NOTIFICATION

No. F-10/ 17 /2017/CT/V (21) . — In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment :-

AMENDMENT

In notification No. F-10/21/2010/CT/V (25), dated 26-3-2010, for the figure related to period "31-03-2017" the figure "30-06-2017" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.